



POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 25.12.2025

1. थाना सेक्टर 142 पुलिस द्वारा मोबाईल फोन चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी/छिनैती के 33 मोबाईल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के तथा मोबाईल फोन के पार्ट (63 मोबाईल फोनों के डिस्प्ले भिन्न-भिन्न कम्पनियों के, 72 मोबाईलों के फ्रेम एवं 84 मोबाईल फोन की बैटरियां) बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना सेक्टर 142 पुलिस द्वारा दिनांक 24/25.12.2025 की रात्रि में मोबाईल फोन चोरी/छिनैती के अभियोग में वांछित अभियुक्त अमन कुमार पुत्र रामदास सिंह को सेक्टर 138 के पार्क से गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी/छिनैती के 33 मोबाईल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के तथा मोबाईल फोन के पार्ट (63 मोबाईल फोनों के डिस्प्ले भिन्न-भिन्न कम्पनियों के, 72 मोबाईलों के फ्रेम एवं 84 मोबाईल फोन की बैटरियां) बरामद की गयी हैं। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थारीय पर मु030स0 232/2025 धारा 317(5) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 22/23.12.2025 की रात्रि में थाना सेक्टर 142 पुलिस द्वारा अभियुक्त अमन उपरोक्त के 03 साथी अभियुक्त राजकुमार, कृष्ण कुमार व सुल्तान उर्फ मयंक को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किये गये थे जिनके कब्जे से चोरी की 01 मो0सा0 के.टी.एम. ड्यूक रजिन0-डीएल 3एस ईबी 4878, 03 स्मार्ट मोबाईल फोन चोरी/छिनैती के व 02 अवैध चाकू बरामद किये गये थे। इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु030स0 231/2025 धारा 317(2)/317(5)/304(2) बी.एन.एस. व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर मोबाईल फोन चोरी/छिनैती कर उसके पार्ट को अलग अलग बेचता है, जिसके साथी घटनाओं में चोरी की मोटर साइकिल का भी प्रयोग करते हैं, अभियुक्त अमन के अन्य साथी राजकुमार निवासी ग्राम शेखपुरी थाना चांदपुर जिला बिजनौर, कृष्ण कुमार निवासी ग्राम बम्हैरा थाना बकेवर जिला इटावा व सुल्तान उर्फ मयंक निवासी ग्राम अदियापुर थाना वेदपुरा जिला इटावा को दिनांक 23.12.2025 को थाना सेक्टर 142 क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था जिसके कब्जे से एक चोरी की मोटर साइकिल जिसके सम्बन्ध में थाना मयूर विहार दिल्ली में एफआईआर पंजीकृत है, 02 चाकू व 03 चोरी के मोबाईल फोन बरामद हुये थे। तभी से वांछित अभियुक्त अमन फरार चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. अमन कुमार पुत्र रामदास सिंह नि0 ग्राम दरिया पुर थाना नूरपुर जिला बिजनौर हाल पता दीपक के मकान में गली न0-6 ग्राम इलाहाबास से0-86 थाना फेस-2 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 22 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0स0 231/2025 धारा 317(2)/317(5)/304(2) बीएनएस व 4/25 आर्स एक्ट, थाना सैक्टर 142 , गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0स0 232/25 धारा 317(5) बी.एन.एस थाना सैक्टर 142 , गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0स0 032590 धारा 303(2) बीएनएस , मयूर विहार, फेस 1, दिल्ली

बरामदगी का विवरण--

1. 33 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के
2. 63 मोबाइल फोनो के डिस्प्ले (भिन्न-भिन्न कम्पनियों के),
3. 72 मोबाइलो के फ्रेम
4. 84 मोबाइलो की बैटरियां (भिन्न-भिन्न कम्पनी की) बरामद

2.थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में ईनामी/वांछित 02 अभियुक्तगण व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.12.2025 को थाना सूरजपुर पुलिस व सर्विलांस टीम के संयुक्त प्रयास से थाना सूरजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 728/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण गैंग लीडर 1.बिडू उर्फ प्रवेश कसाना पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम भूपखेड़ी थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष व गैंग सदस्य अभियुक्ता 2.सपना पत्नी बिडू उर्फ प्रवेश कसाना निवासी उपरोक्त उम्र करीब 26 वर्ष को 130 मीटर रोड़ से० गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त बिडू उर्फ प्रवेश कसाना उपरोक्त के कब्जे से अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिंदा कारतूस मौके पर बरामद किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0 735/2025 धारा 3/25 आर्स एक्ट पंजीकृत किया गया है तथा इनके साथी शिवम कसाना पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम भूपखेड़ी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को दिनांक 24.12.2025 की रात्रि में मिसन विलासा गोलचक्कर के पास से० गिरफ्तार किया गया था जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0-734/2025 धारा 3/25 आर्स एक्ट थाना सूरजपुर पंजीकृत किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण उपरोक्त के द्वारा अपने अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर गैंग बनाकर सड़क पर चलती कार एवं अन्य गाड़ियों को मौका पाकर चालक को बंधक बनाकर कार आदि की लूट करते हैं तथा कार आदि में भरा सामान सपना कसाना को सौंप देते हैं मौका पाकर सपना कसाना उक्त लूटे गये

माल को बेच देती है तथा समस्त लोग सामान, पैसा आपस में बांट लेते हैं थाना सूरजपुर क्षेत्र में पूर्व में घटित लूट की घटनाओं में दोनों अभियुक्तगण एंव अभियुक्ता सपना कसाना जेल जा चुकी हैं।

नोट- श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय सैन्ट्रल नोएडा द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त बिहू उर्फ प्रवेश कसाना उपरोक्त पर 25 हजार रुपये व शिवम कसाना व सपना कसाना उपरोक्त की गिरफ्तारी पर 15-15 हजार रुपये का ईनाम पूर्व से घोषित था अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण--

1. बिहू उर्फ प्रवेश कसाना पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम भूपखेड़ी थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष
2. सपना पत्नी बिहू उर्फ प्रवेश कसाना निवासी ग्राम भूपखेड़ी थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष
3. शिवम कसाना पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम भूपखेड़ी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष

अभियुक्त बिहू उर्फ प्रवेश कसाना उपरोक्त का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0स0 100/2018 धारा 411/414 भादवि थाना कोतवाली जिला गाजियाबाद
2. मु0अ0स0 533/2018 धारा 201/34/396/412 भादवि थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0-224/2023 धारा 379/411 भादवि थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0स0 250/2023 धारा 379/411/414 भादवि थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0स0 164/2023 धारा 382/411 भादवि थाना फेस 3 जिला गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0स0 337/2023 धारा 379/411 भादवि व 3/25 आर्स एक्ट थाना कोतवाली जिला बागपत
7. मु0अ0स0 831/2023 धारा 120बी/ 342/354/394/411/452/506 भादवि थाना बिसरख जिला गौतमबुद्धनगर
8. मु0अ0स0 846/2023 धारा 307/34/482 भादवि 3/25/27 आर्स एक्ट थाना बिसरख जिला गौतमबुद्धनगर
9. मु0अ0स0 01/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिसरख जिला गौतमबुद्धनगर
10. मु0अ0स0 524/2024 धारा 309(6) बीएनएस थाना सैक्टर 39 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर
11. मु0अ0स0 395/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर
12. मु0अ0स0 231/2025 धारा 309(6)/317(2)/111 बीएनएस थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर
13. मु0अ0सं0 253/2025 धारा 109/111 बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्स एक्ट थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर
14. मु0अ0सं0-728/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर
15. मु0अ0सं0- 735/2025 धारा 3/25 थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्ता सपना उपरोक्त का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0स0 231/2025 धारा 317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0-728/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

अभियुक्ता शिवम उपरोक्त का अपराधिक इतिहास--

- मु0अ0स0 231/2025 धारा 317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर
- मु0अ0सं0-728/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर
- मु0अ0सं0- 734/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

बरामदगी विवरण--

- 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर

3. थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला 01 चोर गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.12.2025 को थाना सेक्टर 20 पर वादी द्वारा जलवायुविहार सेक्टर 25 नोएडा में स्थित अपने आवास पर दिनांक 24.12.2025 को चोरी होने की घटना के सम्बंध में मु0अ0सं0 387/2025 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। उक्त घटना का 08 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए इलैक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मैनुअल इंटेलिजेन्स के आधार पर शातिर चोर अंशु सिंह पुत्र रामप्रसाद सिंह को दिनांक 25.12.2025 को एन 306 गैराज सेक्टर 25 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। चोरी किये माल की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 387/2025 में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त अंशु सिंह पेशे से इलेक्ट्रीशियन है जो सेक्टर 25 जलवायुविहार में काम करता है। अभियुक्त अंशु सिंह का वादी के घर में पहले से ही आना जाना था जिससे अभियुक्त को घर में रखे सामान की जानकारी थी। इसी दौरान अभियुक्त ने मौका पाकर घर की एक चाबी चुरा ली। जब वादी लम्बे समय के लिये बाहर चले गये तो अभियुक्त ने मौका पाकर घर में रखा सभी सामान चोरी करके अपने गैराज में छिपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण--

- अंशु सिंह पुत्र रामप्रसाद सिंह निवासी बरोंडी पाई 1-2 काशीराम सोसाइटी ग्रेटर नोएडा उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण--

- एक डबलडोर फ्रिज
- एक वोल्टास विंडो एसी
- एक गीजर
- एक इनवर्टर माईक्रोटेक बैटरी मय लोहे का बाक्स
- एक सैमसंग एलसीडी
- एक हेयर ड्रायर
- एक मिक्सी

8. एक इलेक्ट्रीक कैटल
9. एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन,
- 10.छ: बल्ब
- 11.दो गद्दे, एक बेडसीट व , 05 रेजर इलैक्ट्रिक क्लीनर मय 07 अदद पंखडी,
12. एक वॉटर पम्प हैवल्स, एक पालीथम में वॉटर टेप -06, एक वाशिंग मशीन पाईप पालीथन में